फर्द अहकाम

तौफदेवर बनाम कल्पना

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

न्यायालय

श्रेणी

74/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.9.22	पत्रा० पेश हुई। अधि० अपीलांट उप० टेम्पो. न. 2 के नोटिस पेश होने का जारी हो। पत्रा० दि० 19.10.22 को पेश हो।	अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
19.10.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2.11.22 को पेश हो।	
2.11.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.11.22 को पेश हो।	
16.11.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7.12.22 को पेश हो।	
7.12.22	पत्रा की पेश हुई। पक्षकारान में से कोई उप० नहीं। बारम्बार अपीलार्थी अधिवक्ता एवं टेम्पो. न. 2 को दो दफा लोप को मालाज दिखाई गई बावजूद इसके पक्ष का अभु० पत्रावली में अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी अधिवक्ता को 30.3.21 से निर्देश दिये गये थे कि टेम्पो न. 2 को नोटिस जारी करके हेतु नोटिस प्रकाशन परन्तु आज तक नोटिस पेश नहीं किये गये हैं अतः जारि नोटिस पेश नहीं किये गये हैं अतः जारि है कि प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना चाहते। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी एवं सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज की जाती है। पत्रा की फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर